BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 दिसम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर धोखाधडी करने के टॉप-10 अपराधी को 06 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी भडकाऊ थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में एक व्यक्ति से धोखाधडी कर 06 माह में धन दोगुना करने के नाम पर 06 लाख 25 हजार रुपये हडप लेने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 02.12.2022 को थाना नरसेना पर मुअसं- 315/2022 धारा- 420,406 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.01.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 03.12.2024 को न्यायाधीश श्री विकास चौधरी (मा0 न्यायालय ACJM-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अशोक कुमार को 06 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम कुमार मिश्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर